



10. मुआवजे की प्रणाली सहित कर्मचारियों और कामगारों के मासिक पारिश्रमिक का विवरण।

अधिकारियों के लिए

कार्यपालकों का पारिश्रमिक लोक उद्यम विभाग के निर्देशों द्वारा शासित होता है। न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान दर्शाने वाले कार्यपालकों के लिए मासिक वेतन संरचना निम्नानुसार है:

बोर्ड स्तर से नीचे			
वेतन ग्रेड	मूलवेतन न्यूनतम	मूलवेतन अधिकतम	डीए पैटर्न
ई-0	30000	120000	डीए एआईसीपीआई 2001=100 से जुड़ा है जो 01.01.2017 को 277.33 के रूप में है।
ई-1	40000	140000	
ई-2	50000	160000	
ई-3	60000	180000	
ई-4	70000	200000	
ई-5	80000	220000	
ई-6	90000	240000	
ई-7	100000	260000	
ई-8	120000	280000	
बोर्ड स्तर के अधिकारी			
निदेशक	160000	290000	जैसा ऊपर उल्लिखित है।
अ.प्र.नि.	180000	320000	

उपरोक्त उल्लिखित सीमाओं के भीतर मूल वेतन के अलावा, कार्यकारी अधिकारी को 01.01.2017 से एआईसीपीआई 277.33 के अनुसार मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, उच्च योग्यता प्राप्त करने के लिए भत्ता, भविष्य निधि, उपदान, छुट्टी का नकदीकरण, सेवानिवृत्ति पेंशन, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के हकदार हैं और प्रदर्शन संबंधी वेतन जो उन पर लागू हो। उपरोक्त के अलावा कार्यपालकों को अनुमेय अनुलाभों और भत्ते का भुगतान किया जाता है।

कामगारों के लिए

कामगारों को मुआवजा मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ बातचीत के माध्यम से दिया जाता है। न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान दर्शाने वाले कामगारों के लिए मासिक वेतन संरचना निम्नानुसार है:

कामगार			
वेतन ग्रेड	मूलवेतन न्यूनतम	मूलवेतन अधिकतम	डीए पैटर्न
डब्ल्यू-1	20000	120000	डीए एआईसीपीआई 1960=100 से जुड़ा है जो 01.01.2018 को 6573 के रूप में है।
डब्ल्यू-2	21000	140000	
डब्ल्यू-3	22000	160000	
डब्ल्यू-4	23000	180000	
डब्ल्यू-5	24000	200000	
डब्ल्यू-6	25000	220000	
डब्ल्यू-7	26000	240000	
डब्ल्यू-8	270000	260000	
डब्ल्यू-9	280000	280000	
डब्ल्यू-10	29000	116000	

उपरोक्त उल्लिखित सीमाओं के भीतर मूलवेतन के अलावा, कामगार को 01.07.2018 को 6573 है, जिन्हें एआईसीपीआई 1960=100 के अनुसार मंहगाई भत्ता मकान किराया भत्ता, परिवार नियोजन भत्ता, उच्च योग्यता प्राप्त करने के लिए भत्ता, भविष्य निधि, उपदान, छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ और उनके लिए लागू नई पेंशन योजना के हकदार हैं। उपरोक्त के अलावा, कामगारों को प्रासंगिक दीर्घकालिक वेतन समझौते के तहत स्वीकार्य अनुलाभ और भत्ते का भुगतान किया जाता है।